POST GRADUATE DIPLOMA IN PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNCELLING

सत्र – 2020–21

प्रश्न पत्र – ''पंचम''

परियोजना कार्य (Project Work)

नाम :– अंजुलता पाटकर

नामांकन क्रमांक :– LS 236313

क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्र :– भानुप्रतापदेव, शासकीय महाविद्यालय परिसर कांकेर (छ.ग.)

Project work (हिं) (R)

भाग - 1

विशेष आवश्यकता वाले बालको का शैक्षिक परामर्श

भाग – अ

(परामर्शी का जनांकिकीय विवरण)

1. परामर्शी का नाम :– डिग्गूराम साहू
2. आयु :– 10 वर्ष
3. लिंग :– पुरूष
4. शिक्षा :– 5वी अध्ययनरत
5. वैवाहिक स्थिति :– —
6. ग्रामीण / शहरी :– ग्रामीण
7. पारिवारिक संरचना (एकल / संयुक्त) :– संयुक्त
8. परामर्शी के भाई बहनों का विवरण :– एक छोटा भाई
9. परामर्शी के पिता का नाम :– श्री खिलावन साहू
10. शैक्षणिक योग्यता :– चौथी कक्षा
11. व्यवसाय :– किसान
12. परामर्शी के माता का नाम :– श्रीमती संतोषी साहू
13. शैक्षणिक योग्यता :– सातवी
14. व्यवसाय :– गृहणी
15. परामर्शी के परिवार का वार्षिक आय :– 15,000/-

भाग – ब

(समस्या का विवरण और उसका समाधान हेतु "परामर्श")

(1) **समस्या का संक्षिप्त विवरण :–** डिग्गूराम एक विशेष आवश्यकता वाला बालक है। जिसे चलन संबंधी निःशक्ता (70%) है। जन्म के समय स्वास्थ्य ठिक नहीं होने के कारण यह मानसिक रूप से भी कमजोर है बालक का बाया पैर और बाया हाथ मुड़ा हुआ है। इसे चलने में खडे होने में हाथों से सामान्य कार्य करने में परेशानी होती है। बालक घिसलकर एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता है। स्वयं से अपना कार्य नहीं कर पाता है। मानसिक कमजोरी के कारण वह अन्य बच्चों से बहुत पीछे है। पढ़ने, लिखने व समझने की समस्या है। बालक को वर्णमाला, अक्षर ज्ञान, अंको का ज्ञान ठिक से नहीं है। वह स्वयं से कुछ लिख भी नहीं पाता है। डिग्गूराम प्रत्येक कार्य के लिए अपने छोटे भाई पर निर्भर रहता है। जब कभी विद्यालय जाता है तो वह भाई के साथ रहने पर ही सुरक्षित व सहज महसूस करता है। और एक ही जगह पर शांत व चितिंत रहता है। परिवारजनों के साथ थोड़ा–थोड़ा संकेतो से व सर हिलाकर व कुछ शब्दों का उपयोग कर बात करता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विद्यालय में डिग्गूराम एक कोने में बैठता है। वह स्वयं से सीखने की कोशिश नहीं करता बताने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता बस मुस्कुरा देता है।

(2) **समस्या का संक्षिप्त इतिहास :–** डिग्गूराम की समस्या का आरंभ जन्म के पूर्व ही हो गई थी। परिवारजनों से हुई चर्चा के अनुसार बालक की माता सातवें महिने गर्भ से ही कमजोरी महसूस करती थी, उसका प्रसव नौंवे माह में सामान्य तरीके से हुआ है। जन्म के बाद जांच उपरांत यह पता चला की बालक को पीलिया है। तथा उसका सर ठीक से पका नहीं है। जन्म से ही उसका पैर एवं एक हाथ तिरछा (मुड़ा हुआ) है। परिवारवालों ने ईलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। घर वालों ने बताया कि बालक को मां का दूध भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया है। बालक के नाम पर निःशक्तता प्रमाण पत्र भी है। जिसमें उल्लेख है कि उसे चलन संबंधी निःशक्तता (70%) है। अपने इस समस्या के कारण वह स्वयं से अपने सामान्य कार्य भी नहीं कर पाता है। और ना ही पढ़ लिख पाता है। प्रत्येक कार्य के लिए उसे दूसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। चर्चा करने पर पता चला कि बालक की बुआ भी मानसिक विकलांग है। बल्कि संदस्य सामान्य है। बालक चल नहीं पाता परंतु किसी डंडे के सहारे थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है। फिर बैठ जाता है। या गिर जाता है। गिरने पर घिसलकर चलता है स्वयं से उठ नहीं पाता है। इसे अक्षर ज्ञान नहीं है। हाथ मुड़ा होने के कारण पेन्सिल पेन नहीं पकड़ पाता है। अपने भाई के साथ विद्यालय आता है। उसके साथ ही रहता है।

(3) **समस्या के कारण :-** बालक के समस्या के कारण निम्न हो सकते है :-

- जन्मजात अनियमितता गर्भावस्था के दौरान माता का कुपोषण का शिकार होना। अनुवांशिक चूंकि घर पर एक अन्य सदस्य भी मानसिक रोगी है।
- जन्म के बाद बालक को गंभीर बीमारी होना उसके सर का ठीक से ना पकना एवं शुरूवाती दिनों में ही बच्चे को मां का पौष्टिक दूध ना मिल पाना।
- आर्थिक स्थिति कमजोर होना एवं उचित चिकित्सा सुविधा एवं देखभाल की कमी का होना।
- बालक में स्वयं में आत्मविश्वास की कमी का होना।

शैक्षिक क्षेत्र में :-

- सामाजिक वातावरण में खुलकर ना रहना।
- परिवारजनों के अलावा दूसरो पर विश्वास ना करना एवं असहज महसूस करना।
- स्वयं सीखने समझने का प्रयास ना करना।
- शिक्षको एवं अन्य साथियो का उसे एक विशेष बालक के रूप में देखना।
- उचित उपचारात्मक शिक्षण ना मिल पाना।
- अधिगम प्रक्रिया का रूचिकर ना लगना।
- उचित समय एवं प्रेरणा देने वालो की कमी होना।

(4) **समस्या के कारण व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव :-**

- सामाजिक असमानता :- समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसे लोगो को सहानुभूति पूर्ण एवं दया की नजर से देखता है। जिससे उन्हे सामान्य से अलग महसूस होता है। समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें दायित्व अथवा बोझ के रूप में देखता है। इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांगजन व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्यधारा से उनके अलगाव को बढ़ावा देता है।
- इन्हें परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान में प्रत्यक्ष विभेद का सामना करना पड़ता है।
- उपचार की समुचित दशाओं के अभाव के कारण समस्या का वैसे ही बने रहना।
- व्यापक सुविधाएं उपलब्ध ना होने एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने से समस्या का समाधान न होना।
- विद्यालयीन साधनों में कमी होने के कारण असहज अरूचिकर महसूस कर सामान्य अधिगम को भी प्राप्त ना कर पाना।
- प्रेरणा की कमी एवं आत्म विश्वास की कमी के कारण असहज असुरक्षित भयभीत महसूस करना।

(5) **आंकलन एवं टिप्पणी :-** बालक शारीरिक विकलांगता से ग्रसित है। यह विशेष बालक मानसिक रूप से भी कमजोर है। यह शारीरिक, मानसिक, (बौद्धिक), संवेगात्मक, सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतना विचलित है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभांवित नहीं हो पा रहा है। इसे विद्यालय में विशेष देखरेख की आवश्यकता है।

=: सामान्य बच्चों को देख वह अपने आप को अलग महसूस करता है। जिसके कारण उसके व्यक्तितत्व का विकास नहीं हो पा रहा है। अतः अध्यापक और समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता एवं सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करें।

(6) **समस्या का संभावित समाधान :-**

क्र.	संभावित समाधान	लाभ	सीमायें	प्राथमिकता
1.	उचित उपचार, पौष्टिक भोजन एवं शारीरिक स्वच्छता	धीरे–धीरे आत्म विश्वास बढ़ेगा स्वयं कार्य में रूचि लेगा	उचित समय/ रूचि के अनुसार	प्रतिदिन प्रेरित करना
2.	विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता	विद्यालय आने में रूचि लेगा	जो उचित प्राप्त संसाधन हो	विद्यालय आने प्रेरित करना।
3.	सहपाठियों को उसके प्रति सहज बनाना	विद्यालय में रहना पसंद आयेगा।	2–4 साथियों से शुरूवात	जिसके साथ बालक सुरक्षित महसूस करे।
4.	कक्षा के छोटे–छोट कामों में शामिल करना। (समूह में)	कक्षा में दोस्त बनने पर विद्यालय प्रतिदिन खुश होकर आयेगा।	रूचि अनुरूप कार्य	भाग लेने हेतु प्रेरित करना।
5.	उसके स्तर आवश्यकता अनुरूप खेल व अन्य कार्यक्रम आयोजित करना।	आत्म विश्वास बढ़ेगा	स्थानीय संसाधनों से जो उपलब्ध हो	उसकी रूचि अनुसार

(7) **समस्या का अनुकूलतम समाधान परामर्शदाता द्वारा सुझाया :–**

- समय–समय पर उचित चिकित्सक से जांच कराते रहना।
- ग्राम स्तर पर या विद्यालय स्तर पर प्राप्त राज्य/भारत सरकार की योजनाओं का उचित लाभ लेना।
- परिवारजनों, समाज, शिक्षक एवं दोस्तो से चर्चा कर कहना कि वह ऐसे लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करे एवं उन्हे कार्यक्रमों में (ग्रामीण/विद्यालयीन) भाग लेने हेतु प्रेरित करें।
- ऐसे समस्या से ग्रसित लोगों का मनोबल बढ़ाये उनमें आत्मविश्वास जगायें।
- ऐसे बालको को लोगो को घर तथा विद्यालय में विशेष देखभाल के साथ विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है।
- विद्यालय में ऐसे बच्चों को समूह में साथ रखकर कार्य करने से उन्हें सकारात्मक योगदान देने से उनकी वृद्धि एवं विकास की दर को बढ़ने में मदद मिलती है।
- विशेष बच्चों के आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें वातावरण उपलब्ध कराना।
- विद्यालयीन कार्यक्रमों में बच्चे को शामिल कर उनके माता–पिता की सहभागिता भी समय–समय पर सुनिश्चित करना।

परामर्शी के हस्ताक्षर

परामर्शदाता के हस्ताक्षर

for प्रधान पाठक
शास. प्राथ. शाला जलसोंव
वि.ख. जिला ... छ.ग.
विद्यालय परामर्श केन्द्र अधिकारी के हस्ताक्षर

खिलावन संतोषी
परामर्शी के माता, पिता के हस्ताक्षर

(8) परामर्शी की प्रगति की समीक्षा :–

"फलक को आदत है जहाँ बिजलियाँ गिराने की।"
हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की॥

= कुछ ऐसे ही जज्बात लेकर मैं परामर्शदाता के रूप में बालक को समझने उसका व्यक्तित्व अध्ययन पिछले एक माह से किया। पिछले कुछ दिनों में मैंने पाया कि जो छोटी-छोटी समस्यायें जो घर पर/विद्यालय में उसे महसूस हो रही थी। मेरे द्वारा (परिवारजनों, शिक्षकों, सहपाठियों, अन्य जनों) को समझाइश देने पर एवं स्वयं परामर्शी से बात करने एवं उसके साथ समय बिताने पर उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वह घर पर स्वयं से नहाना व अपनी स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है। एवं जो हाथ ठीक है उससे पेन या पेन्सिल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। विद्यालय समय पर प्रतिदिन आने के लिए इच्छा जताता है। समय पर भोजन कर रहा है। दोस्तों के घर जाने पर उनके साथ समय बिता रहा है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ा है।

Medico Legal Purpose

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता की दशा में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 4 देखिए)

कार्यालय जिला चिकित्सालय धमतरी
जिला चिकित्सा मंडल

डाकबंगला वार्ड, अस्पताल परिसर, धमतरी

District Medical Board Dhamtari

प्रमाण पत्र संख्या 357 तारीख : 09.06.16

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ... [illegible]

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ... [illegible] ... जन्म की तारीख ... (तारीख, मास, वर्ष)

आयु ... 6 ... वर्ष, पुरुष/महिला ... पुरुष ... रजिस्ट्रेशन नं. ... 36912 ...

मकान नं. ... वार्ड/गांव/गली ... [illegible] ... डाकघर ... [illegible] ...

जिला ... धमतरी ... राज्य ... छ.ग. ... का स्थाई निवासी, जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है, की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि

(क) यह मामला बहु निःशक्तता का है। उनकी स्थाई शारीरिक क्षति/निःशक्तता को निम्नलिखित निःशक्तताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारणी में निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है।

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थाई शारीरिक निःशक्तता/मानसिक निःशक्तता (% में)
1.	चलन संबंधी निःशक्तता	[illegible]	[illegible]	70% Permanent
2.	कम दृष्टि			
3.	दृष्टिहीनता	दोनों आंख		
4.	श्रवण क्षति	£		
5.	मानसिक मंदता	x		
6.	मानसिक रूग्णता	x		

(ख) उपरोक्त के मद्देनजर, उनकी समग्र स्थाई शारीरिक क्षति मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार इस प्रकार है :-

अंकों में ... 70% ... प्रतिशत Permanent

शब्दों में ... Seventy, Permanent ... प्रतिशत